



# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

## GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No. 25 of 2009)

Web Site – [www.ggu.ac.in](http://www.ggu.ac.in), ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148, 154

क्रमांक २८२ / अका. / सीबीसीएस / 2019

बिलासपुर, दिनांक

### कार्यालयीय ज्ञाप

27 SEP 2019

नवीन सीबीसीएस प्रणाली के अंतर्गत प्रकाशित अध्यादेशों एवं अध्यादेशों से संबंधित विद्यमान परीक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन में परिलक्षित गंभीर कठिनाईयों एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रकाशित अध्यादेशों के प्रावधान पैरा क्रमांक 10 की व्याख्या करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 16-09-2019 को आहूत हुई। समिति के द्वारा अध्यादेशों के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा कर व्याख्या प्रस्तुत की गई। उक्त व्याख्या को विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20-09-2019 में मान्य एवं अनुमोदित किया गया है। प्राप्त अनुमोदनानुसार नवीन सीबीसीएस अध्यादेश के प्रावधान जो इस प्रकार हैः—

**Promoted**, i.e. those who have not passed in all the courses of the Semester examination but have passed  $n/2$  courses if  $n$  is even and  $(n+1)/2$  courses if  $n$  is odd, where  $n$  stands for the total number of courses in the concerned semester.

के स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान पढ़ा, समझा एवं मान्य किया जाये—

**Promoted**, i.e. those who have not passed in all the courses of the Semester examination but have passed  $n/2$  courses, if  $n$  is even and  $(n-1)/2$  courses if  $n$  is odd, where  $n$  stands for the total number of courses up to that semester.

यह स्पष्टीकरण शैक्षणिक सत्र 2018-19 के प्रारम्भ से सीबीसीएस प्रणाली के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों पर भी लागू होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव (कार्यवाहक)

क्रमांक २८३ / अका. / सीबीसीएस / 2019

बिलासपुर, दिनांक 27 SEP 2019.

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति / कुलसचिव के निज सचिव / निज सहायक को कुलपति / कुलसचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अधिष्ठाता, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक / सहायक कुलसचिव, गोपनीय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. समन्वयक, I.T. सेल, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर वेब पटल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (अकादमी)